International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6 Issue 9+10+11, Dec'18+Jan+Feb'2019 pp.(40–44)

# 2019 का लोकसभा चुनाव–गठबंधन के आइने में

**साधना पाण्डेय**
प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान,
भोपाल

**शोध सारांश**
लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव जन आकांक्षाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है। चुनावों के माध्यम से जनता अपनी इच्छा, भावनाएँ, निश्चय और अपने आक्रोश सभी को अभिव्यक्त करती है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या व बहुदलीय व्यवस्था वाले देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। केन्द्र के साथ ही साथ अलग–अलग समयों पर राज्य सरकारों के चुनाव भी संपन्न कराना होता है, इसलिये भी यह निर्वाचन आयोग के लिये न केवल कठिन बल्कि चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। केन्द्र में 1952 में संपन्न होने वाले प्रथम आम–चुनाव से लेकर 2014 में संपन्न हुये लोकसभा के चुनावों के इतिहास पर यदि नजर डाली जाये तो यह स्पष्ट होता है कि 1977 से पूर्व तक अधिकांशतः केन्द्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार रही है। 1977 के चुनावों से केन्द्र में गठबंधन सरकारों का युग प्रारंभ हुआ और समानान्तर राज्यों में भी गठबंधन की सरकारें तेजी से बनती रहीं। निरंतर क्रम में लोकसभा चुनावों में गठबंधन की सरकारें अपनी आरंभिक अस्थायी प्रकृति से स्थायी प्रकृति की तरफ अग्रसर हो रही है। 2019 में संपन्न होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों की तिथि समीप आने पर तथ्य, स्थितियाँ व आँकड़े गठबंधन सरकार की तरफ संकेत कर रहे है। इसकी पुष्टि चुनाव परिणाम आने पर ही होगी किन्तु संभावना गठबंधन की तरफ अधिक दिखायी दे रही है।

## प्रस्तावना

लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव एक महोत्सव के रूप में होता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या, लोकतंत्रीय एवं बहुदलीय व्यवस्था वाले देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना एक दुष्कर कार्य होता है। चुनाव उपरांत स्पष्ट बहुमत की सरकार के साथ ही स्पष्ट बहुमत न मिलने पर गठबंधन की सरकारों का इतिहास कोई नया नहीं है।

गठबंधन की सरकारों की आवश्यकता पर यदि दृष्टि डाली जाये तो यह स्पष्ट होगा कि जब चुनाव के उपरांत किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ उस स्थिति में सरकार बनाने के लिये दो प्रमुख विकल्प सामने होते हैं। प्रथम, नवीन निर्वाचन कराया जाना, द्वितीय, कुछ दल मिलकर सरकार बनाने के लिये सहमत हो और आवश्यक बहुमत सदन में सिद्ध कर सकें।

कभी–कभी राष्ट्रीय संकट के समय में भी संयुक्त सरकारें बनती हैं। राष्ट्रीय संकट के समय में पक्ष और विपक्ष के अंतर को समाप्त करते हुये संयुक्त सरकार बनायी जाती है। यद्यपि भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। किन्तु 1931 से 1940 तक ब्रिटेन में राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। सभी राजनीतिक दलों के विशेषज्ञ और योग्य समुदायों को सरकार में शामिल किया गया था।

राष्ट्रीय मजदूर दल, अनुदार दल एवं उदार दल ने मिलकर राष्ट्रीय सरकार बनायी थी।

## विषय–वस्तु

### गठबंधन का स्वरूपः

गठबंधन सरकारों को और भारत मे उसकी स्थिति को समझने से पूर्व गठबंधन के स्वरूप को समझना अनिवार्य है। गठबंधन मूलतः दो प्रकार का होता हैः

1. **चुनाव से पूर्व गठबंधनः** "इस प्रकार के गठबंधन में चुनाव से पूर्व ही कुछ न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर गठबंधन में सम्मिलित राजनीतिक दलों में आपसी सहमति बनायी जाती है। बड़े व प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों के साथ छोटे व अल्प प्रतिष्ठित राजनीतिक दल, दोनों ही कुछ विषयों पर आपसी समझौता व सहमति बनाते हैं। ऐसे गठबंधन का आधार अपेक्षाकृत स्वस्थ होता है।"[1]
2. **चुनाव उपरांत, परिणाम के पश्चात गठबंधनः** "इस प्रकार का गठबंधन चुनाव परिणाम आने के बाद स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने के लिये राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के गठबंधन में न्यूनतम वैचारिक सहमति नही के बराबर होती है।"[2] तात्कालिक राजनीतिक लाभ ही इस गठबंधन का प्रमुख तत्व होता है। इसे दूसरे शब्दों में राजनीतिक सौदेबाजी भी कहा जा सकता है।

### गठबंधन की सरकार एवं उनके स्वरूपः


Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6 Issue 9+10+11, Dec'18+Jan+Feb'2019 pp.(40–44)

गठबंधन के स्वरूप को स्पष्ट करने के पश्चात् यह भी समझना होगा कि गठबंधन के द्वारा बनायी गयी सरकारों के स्वरूप में भी अंतर होता है।

**प्रथमः** गठबंधन की सरकार व सरकार को अंदर से समर्थन। जिसमें सरकार को बहुमत के लिये समर्थन देने वाले दल सरकार में भी शामिल होते हैं और सरकारी नीति व निर्णयों के लिये उत्तरदायी होते हैं। भारत में केन्द्र में इस प्रकार की गठबंधन की सरकार 1977 में बनायी गयी।

24 मार्च 1977 से 15 जुलाई 1979
प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई
चुनाव – 542 सीटों पर संपन्न हुआ
जनता पार्टी को स्पष्ट स्थान (सीट्स) – 298
गठबंधन दलों के साथ कुल स्थान– 345

किन्तु इस सरकार के कार्यकाल पर यदि दृष्टि डाली जाये तो यह मात्र दो वर्ष ही सत्ता में रह पायी। आपसी मतभेद, सत्ता लाभ की लालसा, प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार के सत्ता में आने के कारण सत्ता लाभ के आंकाक्षी दलों में अधिक समय तक सहमति नहीं बन पायी। इससे जनता में यह संदेश गया कि गठबंधन की सरकारें स्थायी नहीं रह पायेंगी और 1980 के चुनाव में पुनः कांग्रेस व श्रीमती इंदिरा गाँधी की सत्ता मे वापसी जनता के इसी दृष्टिकोण को पुष्ट करता है।

**द्वितीयः** गठबंधन की सरकार को बाहर से समर्थन, जिसमें सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिये समर्थन देने वाला दल सदन में गठबंधन सरकार के पक्ष में मतदान तो करता है, किंतु सरकार में सम्मिलित नहीं होता है। इसलिये वह सरकारी नीतियों के लिये स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानता है।

**उदाहरणः** श्री चंद्रशेखर जी की सरकार– 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 (कांग्रेस द्वारा बाहर से समर्थित सरकार)

इतने अल्प समयावधि की इस सरकार से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के गठबंधन (बाहर से समर्थन) की सरकारें अत्यंत अस्थयी प्रकृति की होती है।

**केन्द्र व राज्यों में गठबंधन सरकारों का संक्षिप्त विवरणः**

यहाँ यह उल्लेखनीय तथ्य है कि चुनाव से पूर्व न्यूनतम साझाा कार्यक्रमों के साथ बनाये गये गठबंधन को चुनाव परिणाम आने पर एक बहुमत प्राप्त दल के रूप में माना जाता है। यदि इस सिद्धांत को दृष्टि में रखकर हम राज्यों की राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे तो राज्यपाल की भूमिका ऐसे समय में सबसे अधिक निर्णायक व महत्वपूर्ण होती है।

"यदि किसी राज्य में चुनावपूर्ण गठबंधन दल को बहुमत मिलता है तो राज्यपाल का विवके तय करता है कि वह उस बहुमत प्राप्त गठबंधन दल को सरकार बनाने का निमंत्रण देता है या सबसे अधिक स्थान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को। राज्यपाल को यह भी ध्यान में रखना होता है कि जो दल सरकार बनाये, वह सदन में बहुमत भी सिद्ध कर पाये और बहुमत स्थायी भी रहे, साथ ही बहुमत सिद्ध करने के लिये समय सीमा भी राज्यपाल द्वारा दी जाती है।"[3] यदि राज्यों में इस प्रकार के चुनाव परिणामों एवं उसके बाद बनने वाली वर्तमान समय तक की राज्य सरकारों का अध्ययन किया जाये तो अनेक अवसरों पर राज्यपाल का निर्णय सवालों के दायरे में आता है।

राज्यों में गठबंधन की राजनीति को देखें तो मध्यप्रदेश में 1967 के विधानसभा वुनाव में इसकी स्पष्ट झलक दिखायी पड़ती है। 1967 का मध्यप्रदेश विधानसभा का चुनाव व चुनाव परिणाम निम्नानुसार थेः

320 स्थान (विधानसभा में)
296 स्थान (सीटों) पर चुनाव संपन्न हुये।
167 स्थान (सीटें) कांग्रेस को प्राप्त हुयी।
148 स्थान (सीटें) पर विपक्ष के पास
राज्यपाल– श्री के.सी. रेड्डी
मुख्यमंत्री– श्री द्वारका प्रसाद मिश्र

यदि उक्त विधानसभा चुनाव, परिणाम और सरकार निर्माण एवं बाद की स्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाये तो यह निष्कर्ष सामने आता है कि कांग्रेस के पास बहुमत सिद्ध करके सरकार बनाने के लिये 19 स्थान (सीटें) विपक्ष से अधिक थी और 19 सीटों की कमी से ही विपक्ष सरकार नहीं बना पाया। कांग्रेस ने राज्यपाल के आमंत्रण के पश्चात् बहुमत सिद्ध करके सरकार बनायी। द्वाराका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री बनाये गये किंतु बाद में कुछ ही दिनों पश्चात् सदन की कार्यवाही के समय ही कांग्रेस के 19 विधायक सत्ता पक्ष के स्थान से उठकर विपक्ष के स्थान पर बैठ गये और द्वाराका प्रसाद मिश्र की सरकार अल्पमत में आने के कारण गिर गयी। नया संयुक्त विधायक दल बना जिसके नेता गोविन्द नारायण सिंह बने और उन्होंने अपना बहुमत सदन में सिद्ध करके सरकार बनायी।

यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जो सदन की कार्यवाही के दौरान ही हुआ। इसके पश्चात् भारतीय राजनीति में दलबदल विधेयक पर विचार विमर्श गंभीरता से आरंभ हुआ जिसका परिणाम बाद में 52वें संशोधन विधेयक 1985 में दल–बदल विधेयक के रूप में सामने आया।

मणिपुर, मेघालय, गोवा के 2018 में संपन्न होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीतकर राज्यपालों के समक्ष सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया किंतु तीनों ही राज्यों के राज्यपालों ने सबसे अधिक सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी के स्थान पर चुनाव के पश्चात्


Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6 Issue 9+10+11, Dec'18+Jan+Feb'2019 pp.(40–44)

भाजपा के द्वारा सरकार बनाने का आमंत्रण दिया और उन्हीं के अनुरूप विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का समय भी दिया। इस प्रकार राज्यपालों की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह सभी सरकारों के समय में लगता रहा है।

केन्द्र की राजनीति का यदि हम अध्ययन करें तो आजादी के संघर्ष में प्रमुख रूप से भाग लेने के कारण स्वतंत्रता के उपरांत होने वाले चुनावों में कांग्रेस को चुनाव जीतने व बहुमत सिद्ध करने में कोई विशेष असुविधा व संकट 1967 तक नहीं हुआ। किन्तु लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत कम हुआ यद्यपि सरकार बन गयी।

"1969 में कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग इंदिरा गाँधी की नीतियों के कारण कांग्रेस से अलग हो गया। जिसके कारण श्रीमती गाँधी की सरकार अल्पमत में आने की संभावना बनी थी किंतु कांग्रेस ने उस समय सरकार बचाने के लिये आज की भाजपा जो उस समय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी उसका समर्थन लेना तय किया किंतु किसी कारणवश जनसंघ ने अपने निर्णय में परिवर्तन कर लिया और कांग्रेस को समर्थन देने से मना कर दिया ऐसी स्थिति में श्रीमती इंदिरा गाँधी को वामपंथी दलों ने बाहर से समर्थन दिया और उनकी सरकार (गठबंधन की बाहर से समर्थित सरकार) बनी रही।"[4]

यह भारत में केन्द्र में गठबंधन सरकार का प्रथम कार्यरूप में प्रयोग था।

1977 के लोकसभा निर्वाचन में कांग्रेस के विरोध में कई राजनीतिक दलों ने चुनाव से पूर्व ही मिलकर जनता पार्टी बनायी और जनसंघ ने अपने को जनता पार्टी मे विलय कर के अपनी पृथक अस्मिता समाप्त की। यह भी केन्द्र में गठबंधन का प्रयोग था। जिसका उल्लेख शोधपत्र में पूर्व में किया गया है।

बाद के वर्षों में केन्द्र में देवगौड़ा की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार, इंद्रकुमार गुज़राल की सरकार तथा ऐसी ही कुछ अन्य सरकारें भी बनी, जिन्हें बाहर से समर्थन प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री बने।

किन्तु 1977 और उसके बाद की गठबंधन सरकारें और उनके अल्प कार्यकाल से एक धारणा जनता में अवश्य बनी कि गठबंधन सरकारों की प्रकृति अस्थायी होती है और अस्थायी प्रकृति की होने के कारण ऐसी सरकारें कभी भी महत्वपूर्ण विषयों में दृढ़ निर्णय लेने में प्रायः सक्षम नहीं हो पाती है।

10 मार्च 1998 को 12वीं लोकसभा के गठन में भी गठबंधन की सरकार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार तेरह माह ही स्थायी रह पायी। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने में मात्र एक मत कम होने के कारण सरकार गिर गयी। ऐसा 5वीं बार हुआ कि जब लोकसभा को अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले भंग किया गया।

भाजपा गठबंधन की यह सरकार लोकसभा में विश्वास मत पर होने वाले मतदान में अपनी ही सहयोगी जयललिता के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक के साथ न देने के कारण एक मत से पराजित हुयी। बारहवीं लोकसभा में गठबंधन सरकार का बनना और उसके अत्यधिक अल्प कार्यकाल ने भी इसी तथ्य को पुष्ट किया कि गठबंधन की सरकारें अस्थायी प्रकृति की होती है।

इस तथ्य को बाद के वर्षों में बनने वाली गठबंधन सरकारों ने अपने पाँच वर्ष कार्यकाल को पूर्ण करके असत्य सिद्ध करने का प्रयास किया।

1999 पुनः तेरहवी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुये। राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) को 298 सीटें प्राप्त हुयी और कांग्रेस को 136 सीटों पर विजय मिली। 13 अक्टूबर 1999 को भाजपा के नेतृत्व में बनने वाली राजग सरकार ने अटलबिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में पाँच वर्ष पूर्ण किये और पुनः 2004 में चौदहवीं लोकसभा के निर्वाचन हुये।

इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्पष्ट बहुमत मिलना अत्यंत कठिन होगा इसलिये चुनाव में जनता के मध्य जाने से पूर्व ही गठबंधन बनाया जाये, जिसमें कुछ न्यूनतम साझा कार्यक्रमों पर आपसी सहमति बनाकर चला जाये। ऐसी स्थिति में यूपीए (यूनाइटेड प्रोगेसिव एलायंस) और एनडीए (नेशनल डेमोक्रेट एलायंस) के नाम से दो प्रमुख गठबंधन 2004 के लोकसभा चुनाव से पूर्व बने और इसी आधार पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा।

**2004 का चुनाव परिणामः**

कुल स्थान जिन पर निर्वाचन हुआ– 543
यूपीए को प्राप्त स्थान– 218
एन डी ए को प्राप्त स्थान– 181
समाजवादी – 36
अन्य स्थान– 144
बहुमत सिद्ध करने के लिये वामपंथी दलों ने यूपीए को समर्थन दिया।
श्री मनमोहन सिंह – प्रधानमंत्री
श्रीमती सोनिया गाँधी – यूपीए की अध्यक्ष
यूपीए में मुख्य दल – कांग्रेस

इस चुनाव, चुनाव परिणाम, सरकार का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि 2004 में 14 राजनीतिक दलों का गठबंधन यूपीए की सरकार बनी और इस गठबंधन सरकार ने 5 (पाँच) वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किये और यह इस गठबंधन सरकार की सफलता ही मानी जायेगी कि 2009 के लोकसभा चुनाव में पुनः यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। 2009 से 2014 तक यूपीए की दूसरी सरकार ने भी 5 (पाँच) वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया।


Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6 Issue 9+10+11, Dec'18+Jan+Feb'2019 pp.(40–44)

यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में वामपंथी दलों ने सरकार की नीतियों से असहमति व्यक्त करना आरंभ कर दिया था, सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार, घोटाले के कई आरोप भी लगे।

2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में भी यूपीए एवं एनडीए का गठबंधन मुख्य था।

**2014 का चुनाव परिणामः**

कुल स्थान जिन पर चुनाव संपन्न हुय – 543
एनडीए गठबंधन के साथ भाजपा को कुल प्राप्त स्थान – 336 (भाजपा 282 सीट्स)
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 मई 2014

16वीं लोकसभा का चुनाव, चुनाव परिणाम, सरकार निर्माण एवं श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में एक नयी ऊर्जा महसूस की जाने लगी। प्रथम बार लोकसभा में भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ यद्यपि सरकार चुनाव पूर्व बनाये गय एनडीए के साथ बनायी गयी। वे सफलतापूर्वक अपने पाँच वर्ष पूरा करने की तरफ है।

2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। चुनाव विश्लेषक आगामी लोकसभा चुनावों पर अपने अपने आधारों, आंकडों के साथ अपनी–अपनी राय व्यक्त कर रहे है। ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम भी गठबंधन की राजनीति को ही भारत में आगे ले जायेंगे।

इस अनुमान के पीछे कुछ तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं जो निम्नानुसार हैंः

1. 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 282 सीटें प्राप्त हुयी थीं। इनमें से अधिकांश सीटें मुख्यतः सात राज्यों से प्राप्त हुयी थी। भाजपा उन राज्यों में पुनः वैसा ही प्रदर्शन कर पायेगी ऐसी संभावनाएँ कम दृष्टिगत हो रही है, यह भी एक तथ्य है कि किसी भी राजनैतिक दल के लिये वर्तमान समय में एक समान प्रदर्शन चुनावों में कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

   2014 के चुनाव परिणामों में भाजपा को सात राज्यों में प्रमुख रूप से प्राप्त 282 सीटों का विवरण निम्नानुसार हैंः

| क्र. | राज्य | लोकसभा स्थान | भाजपा को प्राप्त स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | गुजरात | 26 | 26 |
| 2 | छत्तीसढ़ | 11 | 10 |
| 3 | मध्यप्रदेश | 29 | 27 |
| 4 | उत्तरप्रदेश | 80 | 71 |
| 5 | राजस्थान | 25 | 25 |
| 6 | हरियाणा | 10 | 07 |
| 7 | महाराष्ट्र | 48 | 23 |
| 8 | दिल्ली | 07 | 07 |

   इन चुनाव परिणामों में भाजपा को प्राप्त स्थानों का गणित पूर्ववत रह पायेगा इसकी संभावना कम ही दिखायी पड़ रही है।

2. 29 राज्यों में यदि हम भाजपा शासित सरकारों को समझने का प्रयास करें तो स्थिति यह है कि वर्तमान में केवल सात राज्यों में भाजपा की स्पष्ट सरकारें है। जिनमें प्रमुख रूप से उत्तरप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखण्ड, हिमाचल, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश शेष लगभग 12 (बारह) राज्यों में भाजपा की गठबंधन सरकारें है। भाजपा ने वहाँ सरकारों को समर्थन दिया है।

   अभी हाल ही में तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान जहाँ पहले भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकारें थीं, भाजपा की पराजय ने भी केन्द्र सरकार को 2019 के चुनाव पर गहन मंथन के लिये विवश किया है।

3. यदि पूर्व के चुनाव एवं चुनाव परिणामों के इतिहास पर दृष्टिपात किया जायें तो यह समझा जा सकता है कि चुनाव प्रायः भावनात्मक मुद्दों पर लड़ा जाता है और जीता जाता है, किंतु वर्तमान में सरकार के पास कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा चुनाव के लिये उपलब्ध नहीं है जिसे लेकर वर्तमान सरकार पूर्ण एवं स्पष्ट बहुमत की तरफ संतुष्ट हो सके।

4. 2014 में भाजपा के पास स्पष्ट 282 सीटें थी किंतु 2014 से 2018 के मध्य 24 उपचुनाव हुये जिनमें से भाजपा को अधिकांश में पराजय का सामना करना पड़ा है। वर्तमान समय में भाजपा के पास 282 से कम होकर 272 स्थान ही शेष हैं।

5. भाजपा की वर्तमान सरकार में 116 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम बार चुनाव लड़ा है। अतः उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। इस कारण भी आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें अपना स्थान जीतने में कठिन संघर्ष करना पड़ सकता है।
   उदाहरणस्वरूप– राज्यवर्द्धन राठौर, वी.एस.सिंह, परेश रावल इत्यादि।

6. 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भ्रष्टाचार, घोटालों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था तथा साथ ही श्री नरेन्द्र मोदी की छवि का भी अत्यधिक लाभ मिला था किंतु 2019 के चुनाव में भाजपा राफेल के मुद्दे पर स्वयं घिरी हुयी है, साथ ही महँगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, किसानों की समस्या एवं आर्थिक मंदी को बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष चुनाव में उतरने की तैयारी में है। तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा की पराजय से भी विपक्ष के हौसले बढ़े हुये हैं और दूसरी तरफ भाजपा को विपक्ष एवं अपने ही दल एवं गठबंधन से मिल रही चुनौतियों से भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एस.सी, एस.टी.) बिल में भी सरकार


Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-6 Issue 9+10+11, Dec'18+Jan+Feb'2019 pp.(40–44)

द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटकर सवर्णो का विरोध मजबूरी वश ही लिया गया क्योंकि संभवतः लोकसभा में 282 के स्थान पर 272 सीटों पर भाजपा का सिमटना और गठबंधन में शामिल दलित सांसदों के विरोध ने सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को परिवर्तन के लिये विवश किया होगा किंतु 2019 में माहौल अपने पक्ष में मोड़ने की दृष्टि से ही सरकार द्वारा सवर्गों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण बिल लाया गया और दोनों सदनों में पास भी हो गया क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल इस चुनावी समय में किसी वर्ग का स्पष्ट विरोध अपनी तरफ नहीं स्वीकार करना चाहेगा।

## निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गठबंधन का अर्थ, रचना, स्वरूप, गठबंधन सरकारों का स्वरूप, विकास, केन्द्र एवं राज्यों में गठबंधन सरकारों के इतिहास, राजनीति, उनकी अस्थायी से स्थायी प्रवृत्ति की तरफ स्थानातंरित होना हमें इस बात के लिये आश्वस्त करता है कि 2019 के आगामी लोकसभा चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत के स्थान पर यदि गठबंधन को ही बहुमत प्राप्त हो तो चुनाव से पूर्व न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ राजनीति में आने वाले गठबंधन को ईमानदारी और मजबूती से चलाया जाना चाहिये और चलाया जा सकता है। केवल ध्यान यह रखा जाना चाहिये कि दलीय हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर वरीयता न दी जाये। राष्ट्रीय हित प्रत्येक परिस्थिति में सर्वोच्च होने चाहिये।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कौशिक, रेखा– 2005, 'भारत में सरकार और राजनीति', पीयूष पब्लिशर्स, दिल्ली, पृष्ठ–128
2. चतुर्वेदी, दिनेशचंद्र– 2003, 'भारत की शासन प्रणाली', मीनाक्षी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृष्ठ–79
3. जैन, श्रीमती राजेश–2003, 'भारत में राज्यों की राजनीति', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, ण पृष्ठ–113

4 भटनागर, शरद2002, – 'भारतीय शासन एवं राजनीति', उपयोगी प्रकाशन, झाँसी रोड, ग्वालियर ण पृष्ठ–158


Corresponding Author : email :